परिशिष्ट "क"

मि.सं.17-3/2002-से.पू.

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय

पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066,
दिनांक 16- 9-2021

विषयः-कार्यालय के प्रयोग हेतु अधिकारियों के तौलिये,पर्दे,कार सीट कवर, सोफा कवर,टेबल कवर,कुशन कवर को धुलवाने के ठेके के लिए निविदा प्रपत्र तथा नियम व शर्तें।

1. प्रस्तुत टेंडर कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होगा किंतु अपरिहार्य स्थिति में टेंडर की अवधि बढाई/घटाई जा सकती है।
2. फर्म द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जाएंगी बाद में उनमें किसी प्रकार की वृद्धि के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा टेंडर अवधि में स्वीकृत दरों पर ही कार्य करना होगा।
3. निविदा में दर्शाई गई सभी दरें अनिवार्य रूप से स्पष्ट अंकित करनी होगी ताकि उन्हे आसानी से पढा जा सके। ओवर राईटिंग अथवा अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा अपनी फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत करें ।
4. इस कार्यालय को जो बिल प्राप्त होंगे उनका ई-भुगतान सामान्यत : 45 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा किंतु अपरिहार्य स्थिति में विलंब भी हो सकता है जिसके लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान देय नहीं होगा।
5. फर्म को ठेके का आदेश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर कार्य करने की अपनी अनुमति इस कार्यालय को लिखित में देनी होगी।
6. टेंडर देने से पूर्व सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें तथा संस्था की मुहर लगायें।
7. GST/PAN/TAN आदि आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न करें।
8. सामन्यतः न्यूनतम दरों की निविदा को स्वीकार किया जाएगा किंतु किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्ति निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी में निहित होंगी।
9. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. प्राप्त निविदा दिनांक 30.09.2021 को अपराह्न 1:00 बजे टेंडर समिति के समक्ष खोली जाएंगी।
11. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी ठेके को बिना किसी पूर्व सूचना के आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से रद्द कर सकते हैं।

संपर्कः-
श्री संजय श्रीवास्तव, सहायक (दूरभाषः-26178454 Extn. 220)
श्री द्वारका दास, प्र.श्रे.लि.

रीता देव

(रीता देव)
प्रशासनिक अधिकारी
केंद्रीय हिंदी निदेशालय